

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर****दाण्डिक अपील क्रमांक 1585/2023****निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक: 27.10.2025****निर्णय पारित करने का दिनांक: 19.11.2025**

1- गोविंद कुमार टंडन उर्फ गोलू, पिता- कृष्णचंद, आयु लगभग 22 वर्ष निवासी- ग्राम छोटी बाजार, दलगंजन दफाई, थाना चिरमिरी, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी/अभियुक्त**विरुद्ध**

1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- पुलिस थाना चिरमिरी, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़।

...प्रत्यर्थी**(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)**

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रीतम कुमार तिवारी, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : श्री प्रतीक तिवारी, पैनल अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी)**सीएवी निर्णय**

1. यह दाण्डिक अपील, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012), मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया (एतस्मिन् पश्चात जिसे 'विशेष न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 18/2019 में दिनांक 15.06.2022 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे निम्नलिखित रीति से दोषसिद्ध एवं दंडित किया है:-

धारा के अधीन दोषसिद्धि	कारावास का दंड	अर्थदंड	व्यतिक्रम शर्त
भा.दं.सं. धारा 363,	02 वर्ष का सश्रम कारावास	रु. 500/-	1 माह का सश्रम कारावास
भा.दं.सं. धारा 366	05 वर्ष का सश्रम कारावास	रु. 500/-	1 माह का सश्रम कारावास
भा.दं.सं. धारा 376(2)(ढ)	10 वर्ष का सश्रम कारावास	रु. 500/-	1 वर्ष का सश्रम कारावास
पोक्सो अधिनियम, 6	चूंकि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(ढ) के अधीन अपराध के लिए दंडित किया गया है, जिसकी सजा की मात्रा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 से अधिक है, इसलिए, पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उसे इस धारा के अधीन दंडित नहीं किया गया है।		



समस्त मुख्य कारावास के दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.04.2017 को, एक अवयस्क पीड़िता की दादी ने पुलिस थाना चिरमिरी, जिला कोरिया में इस आशय की लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-3) दर्ज कराई कि, अपीलार्थी/अभियुक्त ने उसकी लगभग 16 वर्षीय अवयस्क पोती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया है। जिसके आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना चिरमिरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-4) पंजीबद्ध की गई। बरामदी पंचनामा (प्रदर्श पी-9) के अनुसार, पीड़िता को अपीलार्थी की निशानदेही पर उसकी बड़ी अम्मा, श्रीमती अंबा (अभियोजन साक्षी-4) के घर से बरामद किया गया, जो ग्राम कुतराबोद, पामगढ़ में स्थित है। पीड़िता का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने खुलासा किया कि अपीलार्थी उसे सह-अभियुक्त अविनाश उर्फ गोलू के साथ मोटर साइकिल पर पत्थलगॉव ले गया था, जहाँ वे लगभग 7-8 दिनों तक रहे, क्योंकि अपीलार्थी और पीड़िता पिछले 2-3 वर्षों से एक-दूसरे को पसंद करते थे। इसके बाद, अपीलार्थी उसे ग्राम नरियारा ले गया जहाँ उसने उसे पुनः लगभग 7-8 दिनों तक रखा, और तत्पश्चात, वे पामगढ़ चले गए और वहाँ अपीलार्थी के रिश्तेदार के घर पर रुके। उसने आगे बताया कि उक्त अवधि के दौरान, अपीलार्थी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विवेचना के दौरान, पटवारी द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता की माँ से पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-29) जब्त किया गया। जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-10) के माध्यम से अपीलार्थी से एक मोटर साइकिल और एक मोबाइल जब्त किया गया। डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल के क्लर्क सुनील जेम्स जय (अभियोजन साक्षी-7) से पीड़िता से संबंधित दाखिल-खारिज पंजी की छायाप्रति (प्रदर्श पी-11C) जब्त की गई। जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के माध्यम से पीड़िता से उसका अंतःवस्त्र (पेंटी) जब्त किया गया। जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-19) के माध्यम से अपीलार्थी का अंतःवस्त्र और उसके वीर्य की स्लाइड जब्त की गई। डॉ. आयुषी राय (अभियोजन साक्षी-12) द्वारा पीड़िता की चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जिसमें एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-28) के माध्यम से उन्होंने अभिमत दिया कि उन्हें पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं मिली। उन्होंने चिकित्सकीय परीक्षण के लिए पीड़िता की दो योनि स्लाइड्स तैयार कीं और उन्हें संबंधित आरक्षक को सौंप दिया। डॉ. पी.के. रोहन (अभियोजन साक्षी-14) द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जिन्होंने एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) के माध्यम से अभिमत दिया कि अपीलार्थी की रिपोर्ट पॉजिटिव है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए। अपीलार्थी/अभियुक्त और सह-अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई वस्तुएं, यानी पीड़िता की योनि स्लाइड्स और अंतःवस्त्र के साथ-साथ अपीलार्थी की वीर्य स्लाइड्स और अंतःवस्त्र को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-26) के माध्यम से यह रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त हुई। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत,



पुलिस द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त और सह-अभियुक्त अविनाश उर्फ गोलू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 368 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (एतस्मिन् पश्चात् जिसे 'पॉक्सो अधिनियम' संदर्भित किया जाएगा) की धारा 4 और 6 के अधीन अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(ढ), 506 भाग-॥ और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 और 10 के अधीन आरोप विरचित किए। सह-अभियुक्त अविनाश उर्फ गोलू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 366-क और 368 के अधीन आरोप विरचित किए गए। दोनों अभियुक्तों ने अपने अपराध से इनकार किया और विचारण चाहा।

4. दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने हेतु, अभियोजन ने कुल 18 साक्षियों का परीक्षण किया और वस्तु ए-1 और वस्तु ए-2 सहित 30 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के साक्ष्यों में उनके विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फँसाए जाने का अभिवाक् किया, किंतु उन्होंने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5. विद्वान विशेष न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का के विवेचन के उपरांत, सह-अभियुक्त अविनाश उर्फ गोलू को उसके विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दंडित किया, जैसा कि इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित है, जिसे अभियुक्त द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई है।

6. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि विद्वान विशेष न्यायालय ने पीड़िता को केवल डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, चिरमिरी, जिला कोरिया के दाखिल-खारिज पंजी (प्रदर्श पी-11'C') के आधार पर अवयस्क माना है, लेकिन पीड़िता या उसके रिश्तेदारों द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि विद्यालय के अभिलेख में पीड़िता की जन्म तिथि किस आधार पर दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि यद्यपि पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-29) भी साबित किया गया है, किंतु उसका जन्म पंजीकरण उसके जन्म के चार वर्ष पश्चात् किया गया था, इसलिए इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता है; अतः उक्त दस्तावेज में दर्ज पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.06.2000 को उसकी वास्तविक जन्म तिथि नहीं माना जा सकता। इसलिए, विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष कि पीड़िता घटना के दिन अवयस्क थी, त्रुटिपूर्ण और अवैध है।

उन्होंने आगे तर्क किया कि पीड़िता के अभिसाक्ष्य और पुलिस द्वारा अभिलिखित उसके अभिसाक्ष्यों में महत्वपूर्ण विसंगतियां एवं विरोधाभास हैं, इसलिए केवल पीड़िता के अभिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों को साबित नहीं माना जा सकता, विशेषतया तब जब यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है कि पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी; और वह स्वयं



अपीलार्थी के साथ गई थी तथा वह एक सम्मति देने वाली पक्षकार थी। विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क किया कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में विवेचन किए बिना, विद्वान विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। अतः, वे प्रार्थना करते हैं कि अपील स्वीकार की जाए और अपीलार्थी को उक्त समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विशेष न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ विशेष न्यायालय के मूल अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

9. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, घटना के दिन अर्थात् दिनांक 08.04.2017 को पीड़िता एक अवयस्क बालिका थी। उसने, उसकी दादी (अभियोजन साक्षी-2), उसकी बुआ (अभियोजन साक्षी-3) और उसकी माँ (अभियोजन साक्षी-18) ने अपने अभिसाक्ष्यों में पीड़िता की जन्म तिथि का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि पीड़िता (अभियोजन साक्षी-1) के अभिसाक्ष्य के अनुसार, घटना के दिन उसकी आयु 17 वर्ष थी, जिसे उसकी दादी (अभियोजन साक्षी-2) के अभिसाक्ष्य से भी समर्थन मिलता है, जबकि पीड़िता की माँ (अभियोजन साक्षी-18) ने कथन किया है कि घटना के दिन पीड़िता की आयु 16 वर्ष थी।

10. विद्वान विशेष न्यायालय ने पीड़िता से संबंधित डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, चिरमिरी के दाखिल-खारिज पंजी (प्रदर्श पी-11C) के आधार पर पीड़िता को अवयस्क माना है, जिसे उक्त विद्यालय के क्लर्क सुनील जेम्स जय (अभियोजन साक्षी-7) द्वारा साबित किया गया है। उक्त दाखिल-खारिज पंजी में पीड़िता की जन्म तिथि 01.06.2000 दर्ज है। (उप-निरीक्षक एस.के. सिंह को भी अभियोजन साक्षी-7 के रूप में ही क्रमांकित किया गया है।)

11. वर्तमान प्रकरण में, पीड़िता (अ.सा.-1) का जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-29) भी पीड़िता की माता (अ.सा.-18) से जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-7) के माध्यम से जब्त किया गया था। उक्त जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा जारी किया गया है। उक्त जन्म प्रमाण पत्र के जारी होने को दीपक वर्मा (अ.सा.-17) द्वारा साबित किया गया है, जो नगर पालिक निगम, चिरमिरी में सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने अपने कार्यालय में संधारित प्रतिपर्ण के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-29) को साबित किया है। यद्यपि उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मुख्य परीक्षण में मनोज कुमार द्वारा उक्त जन्म प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बारे में अनुमान के आधार पर कथन किया था, किंतु चूंकि उन्होंने अपने कार्यालय में संधारित अभिलेख के आधार पर उक्त जन्म प्रमाण पत्र को साबित किया है, इसलिए प्रदर्श पी-29 की विश्वसनीयता की उपेक्षा



नहीं की जा सकती है, बल्कि यह पाया जाता है कि अभियोजन ने जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-29) की वास्तविकता को साबित कर दिया है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 01.06.2000 उल्लेखित की गई है। इस प्रकार, जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-29) के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि पीड़िता की जन्म तिथि 01.06.2000 थी, जिसे पीड़िता से संबंधित दाखिल-खारिज पंजी (प्रदर्श पी-11C) से भी समर्थन प्राप्त होता है।

12. पॉक्सो के प्रकरण में, पीड़िता/अभियोक्त्री की आयु सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। किसी अवयस्क/किशोर की आयु अवधारित करने की रीति और प्रक्रिया को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (एतस्मिन पश्चात जिसे 'जे.जे. अधिनियम, 2015' के रूप में संदर्भित किया गया है।) की धारा 94 (2) में परिकल्पित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

94. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण-

(1) xxx xxx xxx

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा-

(i) विद्यालय में प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड में मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र:

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा।

परंतु समिति वा बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओम प्रकाश विरुद्ध भारत संघ (दाण्डिक अपील क्रमांक 4229/2024, निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 2025) और रजनी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य [2025 लाइवलाँ (एससी) 602] के प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधान पर बल देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि अवयस्क की आयु का अवधारण जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार किया जाना चाहिए, जो कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 की ही पुनरावृत्ति है, जो किसी व्यक्ति की आयु अवधारित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा और क्रम को अनिवार्य बनाता है,



अर्थात् विद्यालय में प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड में मैट्रिकुलेशन/समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र तथा उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

14. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि पीड़िता से संबंधित डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, चिरमिरी का दाखिल-खारिज पंजी (प्रदर्श पी-11C) साबित किया गया है, किंतु इसके अतिरिक्त पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-29) भी साबित किया गया है और जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) (ii) यह प्रावधान करती है कि किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र अवयस्क/किशोर की आयु अवधारित करने के लिए तब तक एक वैध दस्तावेज है जब तक कि उसे असत्य साबित न कर दिया जाए। वर्तमान प्रकरण में, चूंकि अभियोजन द्वारा पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र साबित किया गया है और उस दस्तावेज में तथा दाखिल-खारिज पंजी में भी पीड़िता की जन्म तिथि 01.06.2000 उल्लेखित की गई है और अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर अविश्वास करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) (ii) के आधार पर यह भली-भांति साबित होता है कि घटना के दिन पीड़िता की आयु 16 वर्ष, 10 माह और 07 दिन थी। दूसरे शब्दों में, वह अवयस्क थी। अतः विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष को कि घटना के दिन पीड़िता अवयस्क थी, यथावत रखा जाता है।

15. जहाँ तक पीड़िता के अपहरण/व्यपहरण का प्रश्न है, पीड़िता (अ.सा.-1) के कथनानुसार घटना के दिन अपीलार्थी और सह-अभियुक्त अविनाश उर्फ गोलू ने उसे धमकी देकर उसका अपहरण किया और उसे मोटरसाइकिल पर पत्थलगॉव ले गए जहाँ उन्होंने उसे अपने पास रखा। तत्पश्चात् वे उसे अपीलार्थी गोविंद कुमार टंडन की बड़ी माँ के घर ग्राम नरियरा ले गए और तत्पश्चात् वे उसे ग्राम बण्डौरा (पामगढ़), जिला जांजगीर-चांपा ले गए जहाँ वह और अपीलार्थी गोविंद लगभग 4-5 दिनों तक रुके और वहीं से पुलिस उसे थाना चिरमिरी ले आई। पीड़िता (अ.सा.-1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता था। प्रतिपरीक्षण में भी उसने अपने मुख्य परीक्षण के इस कथन का समर्थन किया है कि अभियुक्तगण उसे पत्थलगॉव, बण्डौरा, नरियरा आदि ले गए और उसे अपीलार्थी गोविंद के रिश्तेदार के घर में रखा। उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी निकलकर नहीं आया है जिससे उसके मुख्य परीक्षण के कथनों को नकारा जा सके।

16. अ.सा.-2 पीड़िता की दादी है, अ.सा.-3 पीड़िता की बुआ है और अ.सा.-18 पीड़िता की माता है। उन्होंने भी पीड़िता के इस कथन का समर्थन किया है कि अपीलार्थी उसे अपने साथ ले गया था, जिसके कारण सुबह उन्हें पीड़िता नहीं मिली। उन्होंने आगे कथन किया है कि लगभग 17-18 दिनों के बाद, उसे अपीलार्थी गोविंद से बरामद किया गया था।



17. श्रीमती अंबा (अ.सा.-4) अपीलार्थी की मौसी है। वह ग्राम कुतराबोड (पामगढ़) की निवासी है। उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी और उसका मित्र पीड़िता को उनके घर लाए थे जहाँ वे लगभग 2 दिनों तक रुके थे। उन्होंने यह भी कथन किया कि पुलिस ने उन्हें उनके घर में पकड़ा था और पीड़िता की बरामदगी के संबंध में पुलिस द्वारा बरामदगी पत्रक (प्रदर्श पी-9) तैयार किया गया था।

18. तुलसीदास मानिकपुरी (अ.सा.-5) ग्राम कुतराबोड के सरपंच हैं। उन्होंने बरामदगी पत्रक (प्रदर्श पी-9) में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पीड़िता को उनकी उपस्थिति में श्रीमती अंबा (अ.सा.-4) के घर से बरामद नहीं किया गया था, किंतु श्रीमती अंबा ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पीड़िता को कुतराबोड स्थित उनके घर से अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था, जिसे सहायक उप-निरीक्षक दिलीप दुबे (अ.सा.-8) के अभिसाक्ष्य से भी समर्थन प्राप्त होता है, जो इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी थे और जिन्होंने प्रदर्श पी-9 तैयार किया था। अपीलार्थी के बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पीड़िता को उसकी बड़ी माँ श्रीमती अंबा (अ.सा.-4) के घर से अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था। इस प्रकार, यह भली-भांति साबित होता है कि अपीलार्थी ने घटना के दिन अवयस्क पीड़िता का अपहरण किया और उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया तथा उसे दिनांक 24.04.2017 को ग्राम कुतराबोड (पामगढ़) स्थित श्रीमती अंबा के घर से बरामदगी पत्रक (प्रदर्श पी-9) के माध्यम से अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया। अतः, विद्वान विशेष न्यायालय ने यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने अवयस्क पीड़िता का अपहरण किया, उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया और दिनांक 24.04.2017 को उसे अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया।

19. जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ बार-बार किए गए बलात्संग के अपराध का संबंध है, पीड़िता (अ.सा.-1) के साक्ष्य से यह साबित होता है कि उसके अपहरण के बाद, अपीलार्थी गोविंद कुमार टंडन उर्फ गोलू ने उसे लगभग 16 दिनों तक अपने पास रखा था। पीड़िता ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि इस दौरान अपीलार्थी गोविंद कुमार टंडन उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खंडन नहीं किया है। यद्यपि पीड़िता की दादी (अ.सा.-2) और माता (अ.सा.-18) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन नहीं किया है कि पीड़िता ने उन्हें उक्त तथ्य के बारे में बताया था, किंतु पीड़िता की बुआ (अ.सा.-3) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वापस आने के बाद पीड़िता ने उन्हें अपीलार्थी गोविंद कुमार टंडन द्वारा उसके साथ किए गए उक्त बलपूर्वक लैंगिक शोषण के विषय में बताया था।

20. डॉ. आयुषी राय (अ.सा.-12) ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसमें एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-28) के माध्यम से उन्होंने यह अभिमत दिया कि चूंकि पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक



या बाह्य चोट नहीं पाई गई थी, इसलिए पीड़िता के साथ हाल ही में हुए संभोग के बारे में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता है, जिसके कारण उन्होंने पीड़िता के दो वैजाइनल स्लाइड तैयार किए और उसकी पैंटी एकत्र कर संबंधित आरक्षक को सौंप दी, जिसे सहायक उप-निरीक्षक दिलीप दुबे (अ.सा.-8) द्वारा जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-8) के माध्यम से जब्त किया गया था, जिसका समर्थन पीड़िता की माता द्वारा भी किया गया है।

21. अपीलार्थी/अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण भी डॉ. पी.के. रोहन द्वारा किया गया था, जिसमें एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18A) के माध्यम से उन्होंने 'सकारात्मक' अभिमत दिया और उसका अंडरवियर भी एकत्र किया, जिसे सहायक उप-निरीक्षक दिलीप दुबे (अ.सा.-8) द्वारा जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-19) के माध्यम से जब्त किया गया था, जिसे इसके साक्षियों सुमन खाल्खो (अ.सा.-15) और अरविंद कुमार मिश्रा (अ.सा.-13) से भी समर्थन प्राप्त होता है।

22. प्रदर्श पी-26 पीड़िता के वैजाइनल स्लाइड और पैंटी, तथा अपीलार्थी के अंडरवियर और वीर्य की न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन है, जिसमें उक्त वस्तुओं में वीर्य और मानव शुक्राणु पाए जाने की रिपोर्ट दी गई है। इस प्रकार, यद्यपि पीड़िता के इस अभिसाक्ष्य के समर्थन में कि उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी ने उसकी सम्मति/इच्छा के बिना उसका लैंगिक शोषण किया, कोई अन्य साक्षी नहीं है, फिर भी उसके कथन को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-26) से समर्थन प्राप्त होता है, अतः विशेष न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(ढ) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने का निष्कर्ष भी संधारणीय पाया जाता है।

23. यद्यपि पीड़िता की माता (अ.सा.-18) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वापस लौटने के बाद पीड़िता ने उन्हें बताया था कि वह स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी, और विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पीड़िता की दादी और माता से यह सुझाव भी लिया गया है कि चूंकि उन्होंने पीड़िता को डांटा था, इसलिए उसने स्वेच्छा से घर छोड़ दिया था। यदि उक्त तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जाए, इसके बावजूद अभियोजन के साक्ष्य से यह साबित होता है कि घटना के दिन पीड़िता अवयस्क थी, अर्थात् 18 वर्ष से कम आयु की थी, इसलिए उसकी सम्मति या इच्छा का कोई विधिक मूल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी साबित होता है कि अपीलार्थी ने न केवल पीड़िता का अपहरण किया और उसे लगभग 16 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर अपने साथ रखा, बल्कि बलपूर्वक उसका लैंगिक शोषण भी किया। अतः, उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, मुझे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 और 376 (2)(ढ) के अधीन अपीलार्थी के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि या अवैधता प्रतीत नहीं होती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2)(ढ) के अधीन अपराध के लिए प्रावधानित न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास तथा समस्त दण्डादेशों को साथ-साथ चलाने के निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदत्त दंड भी पर्याप्त पाए जाते हैं।



24. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, मुझे विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता है, अतः इसे यथावत रखा जाता है। फलस्वरूप, यह दायित्व अपील **खारिज** की जाती है।

25. अपीलार्थी के जेल में होने की सूचना है, इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि वह विशेष न्यायालय द्वारा उस पर अधिरोपित शेष कारावास का दण्ड भुगतेगा।

26. इस निर्णय की एक प्रति विशेष न्यायालय के अभिलेख के साथ अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/-

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।



